न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 92/2022/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 29.03.2022
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

दिलीप कुमार आत्मज जगन्नाथ मेघवंशी निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाड़पुरा जिला कोटा

.....अपीलार्थी

बनाम

1. रामकन्या बाई पत्नी चौथमल जाति मेघवंशी,
2. मनोज आत्मज चौथमल जाति मेघवंशी,
3. राजेश आत्मज चौथमल जाति मेघवंशी,
4. बबलू आत्मज चौथमल जाति मेघवंशी, निवासीगण ग्राम सौगरिया तहसील लाड़पुरा जिला कोटा
5. मथुरालाल आत्मज जगन्नाथ मेघवंशी (मृतक) जर्ये का० मु०
   - 5/1. राजेश पुत्र मथुरालाल मेघवंशी, निवासी छोटा सौगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
   - 5/2. सरस्वतीबाई पुत्री मथुरालाल पत्नी गोविन्द जाति मेघवंशी निवासी बाबा रामदेव मन्दिर के सामने बैरवा मोहल्ला टोंक देवली
   - 5/3. संध्या कुमारी पुत्री मथुरालाल पत्नी धर्मेन्द्र जाति मेघवंशी निवासी ग्राम गुंजारा (गंगापुर) तहसील कनवास जिला कोटा
   - 5/4. निशा कुमारी पुत्री मथुरालाल पत्नी सुनील कुमार जाति मेघवंशी निवासी ई–1 तृप्ति विहार इंदौर रोड उज्जैन मध्य प्रदेश
6. रानीबाई पत्नी राजेन्द्र बैरवा निवासी सौगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
7. सीमा कुमारी पुत्री रामेश्वर जाति बैरवा निवासी काला तलाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा
8. श्रीमति मन्जू करदम पत्नी प्रकाशचन्द जाटव निवासी डडवाड़ा कोटा जंक्शन कोटा
9. नाथीबाई पत्नी चम्पालाल जाति मेघवाल निवासी रोटेदा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

..... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक –अपीलांट
श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1 से 4

26/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

::निर्णय::

दिनांक 28.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 09/2020 (अपील) बउनवान चौथमल जरिये का0मु0 रामकन्या वगै0 बनाम मथुरा लाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2022 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र. 1 लगायत 4 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न्यायालय तहसीलदार, लाड़पुरा, कोटा द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 1070 दिनांक 18.03.2019 के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील पेश की गई। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 क्र.1 लगायत 4 की निर्णय दिनांक 28.02.2022 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा का नामांतरकरण संख्या 1070 आदेश दिनांक 18.03.2019 निरस्त करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया कि अभी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में प्रकरण विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में प्रकरण में सभी पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुरूप निर्णय पारित करे।

2. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.02.2022 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया गया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचना दिये बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा के अपील संख्या 18/315 को रिमाण्ड कर नामांतरकरण 1070 को खसरा नम्बर 286 के सम्बन्ध में भी निरस्त मानने मे भारी त्रुटि की है, जबकि योग्य राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 19.02.2019 के पैरा नम्बर–15 में विक्रय–पत्र दिनांक 10.05.1965 को खसरा नम्बर 158/435 के सम्बन्ध में वैध माना है तथा पैरा नम्बर 17 में अपील संख्या 18/316 के सम्बन्ध मे रिमाण्ड की है। इस प्रकार खसरा नम्बर 286 के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार की जांच नहीं करनी है, इस प्रकार खसरा नम्बर 286 की भूमि के सम्बन्ध मे नामांतरकरण 1070 को निरस्त नहीं किया

अति. सं. आयुक्त
कोटा

जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचना दिये तथा बिना उपस्थिति के बारे मे वर्णित किये निर्णय दिया है, वैसे भी दिसम्बर 2019 व मार्च 2020 तक कोरोना बीमारी के कारण न्यायालय में पक्षकारों की उपस्थिति नहीं थी तथा तारीख पेशी नोटिस बोर्ड पर ही दी जाती थी। राजस्व मण्डल अजमेर के परिपत्र में भी न्यायिक कार्य स्थगित था जिससे अपीलान्ट को बिना सूचना के निर्णय अवैध व शून्य है। रेस्पोडेन्ट के वाद के अनुसार स्थिति इस प्रकार है कि मूल खातेदार रघुनाथ व जगन्नाथ पुराने खसरा नम्बर 158 व 158/435 के दोनो संयुक्त खातेदार थे, दोनो ने विभाजन कर रखा था। खसरा नम्बर 158/435 रघुनाथ का व खसरा नम्बर 158 जगन्नाथ का था, रघुनाथ ने खसरा नम्बर 158/435 की भूमि सहखातेदार जगन्नाथ को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.05.1965 से विक्रय कर दी, जिसके आधार पर नामांतरकरण अकेले जगन्नाथ के नाम दर्ज है, जगन्नाथ के फौत होने पर जगन्नाथ के वारिस दिलीप व मथुरा लाल के नाम तथा इन दोनो ने भी विभाजन कर लेने पर खसरा नम्बर 286 अपीलान्ट के नाम दर्ज थी। खसरा नम्बर 286 के पुराना खसरा नम्बर 158/435 था तथा खसरा नम्बर 158/435 का विक्रय पत्र राजस्व अपील अधिकारी ने वैध माना है, जिससे नये खसरा नम्बर 286 का कोई विवाद नहीं है, जिससे खसरा नम्बर 286 के सम्बन्ध में नामांतरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व अपील अधिकारी कोटा के अपील संख्या 18/315 को रिमाण्ड कर नामांतरकरण 1070 को खसरा नम्बर 286 के सम्बन्ध में भी निरस्त मानने मे भारी त्रुटि की है, जबकि योग्य राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 19.02.2019 के पैरा नम्बर–15 में विक्रय–पत्र दिनांक 10.05.1965 को खसरा नम्बर 158/435 के सम्बन्ध में वैध माना है तथा पैरा नम्बर 17 में अपील संख्या 18/316 के सम्बन्ध मे रिमाण्ड की है। खसरा नम्बर 286 के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार की जांच नहीं करनी है, इस प्रकार खसरा नम्बर 286 की भूमि के सम्बन्ध मे

28/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

नामांतरकरण 1070 को निरस्त नहीं किया जा सकता। खसरा नम्बर 286 के पुराना खसरा नम्बर 158/435 था तथा खसरा नम्बर 158/435 का विक्रय पत्र राजस्व अपील अधिकारी ने वैध माना है, जिससे नये खसरा नम्बर 286 का कोई विवाद नहीं है, ऐसे में खसरा नम्बर 286 के सम्बन्ध में नामांतरकरण निरस्त नहीं किया जा सकता। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2018 की अपील अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां करने पर निर्णय दिनांक 19.02.2019 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा का उक्त निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कोटा को पुनः उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकरण 1070 को निरस्त मानने मे विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.2022 निरस्त फरमाया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्वरण **RRD 1990 Page No. 355** पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया गया कि रेस्पो0 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में वाद संख्या 67/2016 घोषणा खातेदारी का प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 04.06.2018 को रेस्पो0 के पक्ष में वाद डिक्री कर खसरा सं0 228 व 286 के 1/2 हिस्से को रेस्पो0 को खातेदार घोषित करने पर इंतकाल संख्या 1054 दिनांक 21.12.2018 दर्ज किया गया। इसके उपरांत उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.06.2018 की अपील अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां करने पर निर्णय दिनांक 19.02.2019 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा का निर्णय दिनांक 04.06.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी कोटा को पुनः उभयपक्ष को सुनकर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया। इस प्रकार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के आदेश दिनांक 19.02.2019 से केवल रिमाण्ड करने का आदेश दिया गया लेकिन इंतकाल आदि तस्दीक करने का कोई आदेश नहीं प्रदान करने के बावजूद भी तहसीलदार लाड़पुरा कोटा द्वारा इंतकाल नं0 1070 दिनांक 18.03.2019 तस्दीक किया गया, जबकि कानून के अनुसार धारा 144 सीपीसी के प्रार्थना-पत्र पर ही किसी प्रकार का कोई आदेश प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के द्वारा प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार, लाड़पुरा का नामांतरकरण संख्या 1070 आदेश दिनांक 18.03.2019 को निरस्त करते हुए सभी पक्षकारान को सुनवाई हेतु तहसीलदार, लाड़पुरा को रिमाण्ड किया गया है, जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

28/5/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.02.2019 के द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी, कोटा को प्रतिप्रेषित किया है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा में पुनः सुनवाई की जाकर पुनः निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) प्रकरण में तहसीलदार, लाड़पुरा द्वारा Sou Moto नामांतरकरण खोलना त्रुटिपूर्ण प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के द्वारा भी तहसीलदार लाड़पुरा के द्वारा सीधे ही न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) प्रकरण में नामांतरकरण खोलना विधिसम्मत नहीं माना है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2022 विधिसम्मत होने से किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/5/25

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा